राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

जिला परियोजना कार्यालय कोटा (राज0)

पताः– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक परिसर गुमानपुरा रोड़

फोन :– 0744:–2390250, वेब :– www.rajrmsa.nic.in ई–मेल– adpcrmsakota@gmail.com

क्रमांकः– जिपस/आरएमएसए/को/लेखा/2016–17/ 3123 दिनांक :– 1.3.2017

परिपत्र

विद्यालय स्वच्छता अनुदान उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल सुविधाऐं नियमित रख–रखाव एवं साफ–सफाई हेतु एस.एफ.जी. (विद्यालय स्वच्छता अनुदान) के अन्तर्गत रू. 5000/– रूपये वार्षिक (रू. 500/– प्रति माह प्रति विद्यालय 10 महिने लिए) का प्रावधान किया गया है, यह राशि विद्यालयों के एस.डी.एम.सी के बैंक खातों में हस्तानान्तरित की जा रही है। जिससे प्रत्येक शौचालय/मूत्रालय की नियमित साफ–सफाई रह सके तथा हाथ धोने के लिए साबुन का भी प्रावधान किया जा सके। यह अनुदान केवल ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है।

विद्यालय स्वच्छता अनुदान का उपयोग निम्न प्रकार किया जाना है :–

(अ) वर्षपर्यन्त स्वच्छता से सम्बन्धित निम्न सामग्री क्रय करने एवं साफ–सफाई के पारिश्रमिक के लिए राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है :–

क्र.सं.	सामग्री /मद	अधिकतम व्यय की जाने वाली (राशि रू.)
1	बाल्टी एवं मग	500
2	नेलकटर	100
3	कचरापात्र (कक्षा कक्ष की संख्या के अनुसार)	400
4	आईना	100
5	हाथ धोने के लिए पूरे शैक्षणिक सत्र हेतु साबुत का क्रय	1000
6	शौचालयों को साफ करने हेतु आवश्यक सामग्री (ब्रुश, झाडू, हल्का तेजाब आदि।	500
7	वर्षपर्यन्त शौचालय की नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	2000
8	वर्षपर्यन्त पानी की टंकी के नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	400

कार्य प्रक्रिया :–

1. उक्त निर्दिष्ट बजट मद के अनुसार ही अनुदान की राशि का व्यय किया जाना है। इसमें से किसी भी मद में 10 प्रतिशत व्यय कम या अधिक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है किन्तु वार्षिक व्यय की अधिकतम सीमा राशि रू. 5000/– ही रहेगी।
2. विद्यालय स्वच्छता अनुदान (एसएफजी), में से शौचालय में सामान्य यथा नल/वाश बेसिन/डब्लू.सी./टंकी/हैण्डपम्प के रिपेयर तथा पेयजल व्यवस्था हेतु राशि रू. 1000/– वार्षिक व्यय की जा सकती है।
3. एसएमसी विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित आवश्यक सामग्री का चिन्हीकरण करें
4. समग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
5. वर्ष पर्यन्त काम आने वाले स्वच्छता सामग्री का क्रय एकसाथ विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर किया जाना है।
6. शौचालय की साफ सफाई हेतु किसी भी कार्मिक को कार्य आधारित भुगतान किया जाना है।
7. विद्यालय में स्थित पानी की टंकिया की मासिक रूप से साफ–सफाई सुनिश्चित की जावें एवं टंकी पर अन्तिम साफ–सफाई की तिथि अंकित की जावें।
8. दैनिक साफ–सफाई की व्यवस्था का दायित्व विद्यालय के एक अध्यापक/अध्यापिका एवं बाल संराद के सदस्यों (रोटेशन आधारित) को दिया जाऐं।
9. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा भी विद्यालय में उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं एवं सफाई का आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावें, जिससे उनकी स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय समय में शौचालय पर ताला न लगा हों।
10. विद्यालय के शौचालयों/मूत्रालयों में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए जिससे बच्चे व शिक्षक उपयोग उपरान्त पानी डालकर उन्हें साफ रखे सकें।

www.rajteachers.com

11. जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान विद्यालय पहरसर, शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा एवं कक्षा कक्षों की स्वच्छता का आवश्यक रूप से अवलोकन किया जा कर विद्यालय अवलोकन प्रपत्र में टिप्पणी अंकित की जानी चाहिए।
12. विद्यालय स्वच्छता अनुदान की राशि का विवरण विद्यालय की कैशबुक में नियमित इन्द्राज किया जावें।
13. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रारूप) में उपयोगिता के जिला कार्यालय को भिजवाया जाऐं।

विद्यालय स्वच्छता अनुदान का उपयोग निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावें :–

1. जलपान आदि पर।
2. चाक–डस्टर इत्यादि।
3. विद्यालय के रंगरोपन मरम्मत पर।
4. उत्सव आयोजन पर।
5. स्टेशनरी।
6. अकबार।
7. विज्ञान/गणित किट सामग्री का क्रय।
8. खेल सामग्री का क्रय।
9. पेड़–पौधे क्रय करने पर।
10. निर्दिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य आवर्ती व्यय।
11. बिजली के बिल का भुगतान।

विद्यालय स्वच्छता अनुदान के सुचक :–

1. विद्यालय में समस्त छात्र–छात्राऐं मिड–डे–मील से पूर्व एवं शौच के पश्चात् नियमित साबुन से साथ धोतें है।
2. विद्यालय के शौचालय/मूत्रालय एवं पेयजल सुविधा, कक्षा कक्ष व परिसर साफ एवं इस्तेमाल करने योग्य है।
3. विद्यालय का वातावरण साफ–सुथरा है, विद्यालय में कचरा निष्पादन हेतु एक उचित व्यवस्था निर्धारित है।
4. स्वच्छता अनुदान उपयोग का सामग्री क्रय व वितरण विवरण रजिस्टर उपलब्ध है एवं संधारित हैं

विद्यालय स्वच्छता अनुदान–उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप प्रति वर्ष

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2016–17 में .... विद्यालय (नाम) को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू. .... दिनांक .... का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था, शेष राशि (यदि कोई हो) रू. .... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है, एवं साबुन से हाथ धोये जाते है।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य मय नाम व सील

उपरोक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें। उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न चैक लिस्ट के साथ ....तक अनिवार्य रूप से फाईल में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
रा0मा0शि0अ0, कोटा

क्रमांकः– जिपस/आरएमएसए/को/लेखा/2016–17/ 3123 दिनांक :– 1·3·17

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त रामाशिप, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
रा0मा0शि0अ0, कोटा

www.rajteachers.com

कार्यालय ....

दिनांक :

कमांक :

जिला परियोजना समन्वयक,
आर.एम.एस.ए. कोटा,
महोदय,

आप द्वारा वर्ष 2016–17 में दी गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत है।

1. उपयोगिता प्रमाण पत्र फाइल में संलग्न है।
2. व्यय ((**G.F. & A.R.**) के अन्तर्गत/अनुसार एवं रामाशिअ द्वारा जारी BF. & A.R. एवं राजस्थान उपापन पारदर्शिता नियमों की पालना करते हुय निर्देशों के अनुसार किया है।
3. सभी के रेखाकिंत चेक द्वारा ही किये गये है।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार तैयार किया गया है।
5. अनुदान मद से कोई स्थाई सामग्री/स्थाई उपकरण तैयार नही किया गया है।
6. क्रय की गई सामग्री का नियमानुसार स्टोर रजिस्ट्रर में इन्द्राज किया गया है।
7. उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ निम्न प्रकार दस्तावेज संलग्न हैं
   (i) क्रय की गई वस्तु का सम्बन्धित शाखा को मांग पत्र ।
   (ii) निविदा प्रकाशन प्रपत्र यदि आवश्यक हो।
   (iii) SDMC का अनुमोदित बजट, प्रस्ताव एवं अनुमोदित व्यय कार्यवाही विवरण ।
   (iv) बेची गई एवं प्राप्त निविदाओं का विवरण ।
   (v) खोली गई निविदाओं का विवरण एवं दर तुलना प्रपत्र क्रय आदेश की प्रति।
   (vi) गठित की गई क्रय समिति के आदेश की प्रति।
   (vii) प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट।

क्र. सं.	सामग्री /मद	अधिकतम व्यय की जाने वाली (राशि रू.)	व्यय राशि	शेष राशि	विवि
1	बाल्टी एवं मग	500			
2	नेलकटर	100			
3	कचरापात्र (कक्षा कक्ष की संख्या के अनुसार)	400			
4	आईना	100			
5	हाथ धोने के लिए पूरे शैक्षणिक सत्र हेतु साबुत का कय	1000			
6	शौचालयों को साफ करने हेतु आवश्यक सामग्री (ब्रुश, झाड़ू, हल्का तेजाब आदि।	500			
7	वर्षपर्यन्त शौचालय की नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	2000			
8	वर्षपर्यन्त पानी की टंकी के नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	400			

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षर मय मोहर
आहरण एवं वितरण अधिकारी
अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
वि. वि. कोष समिति
नाम.................................. मो नं0 ....

हस्ताक्षर मय
सचिव
वि. वि. कोष प्रबन्धक समिति
नाम एवं पद .... मो नं0 ....

www.rajteachers.com